न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारी:— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 50 / 2024

अपीलांटगणगण — बनाम — **रेस्पोडेन्टस**

अपीलांटगणगण

1. चैनाराम पुत्र पुराराम
2. टीकूराम पुत्र पुराराम
3. छेराजराम पुत्र पुराराम
4. प्रभुराम पुत्र पुरखाराम
5. गुमानाराम पुत्र सोनाराम
6. आसुदेवी पत्नि बींजाराम सभी जाति जाट निवासी शिवपुरा चांदसमा, तहसील देचू

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. मोहनराम पुत्र बींजाराम
2. रामुराम पुत्र बीजाराम
3. किरपाराम पुत्र बींजाराम
4. उतमाराम पुत्र चुनाराम
5. कैलाश पुत्र चुनाराम
6. चुनीदेवी पत्नि चुनाराम
7. दुर्गाराम पुत्र चुनाराम
8. भोमाराम पुत्र चुनाराम
9. लाखाराम पुत्र चुनाराम
10. लिछमणराम पुत्र चूनाराम
11. संतुदेवी पत्नि शिवराम सभी जाति जाट निवासी शिवपुरा, चांदसमा, तहसील देचू
12. तहसीलदार देचू, जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध बंटवाडा दिनांक 13.12.1977 बनराजगी आदेश तहसीलदार, शेरगढ़

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा ।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ता 11 की ओर से — अधिवक्ता श्री राजेश पुरोहित।

Mahesh. Mahesh.

निर्णय

दिनांक:— 25/09/2024

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध बंटवाडा दिनांक 13.12.197 बनाराजगी आदेश तहसीलदार शेरगढ़ के विरूद्व अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम चांदसमा वर्तमान ग्राम शिवपुरा तहसील देचू में खेत खसरा संख्या 1071 रकबा 123 बीघा 17 बिस्वा भूमि खातेदारी भूमि पुराराम, पुरखा, गुमाना, बींजा पुत्र सोनाराम के नाम से एवं अन्य खातेदारी के साथ दर्ज थी। पुरखा, पुरा व बीजा का देहान्त हो गया जिनके वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्टस है, जिनके नाम से आज भूमि खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस ने आपसी सहमति से एक बंटवाडा तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें खसरा संख्याा 1105 रकबा 63.04 बीघा, खसरा संख्या 1079 रकबा 262.14 बीघा, खसरा संख्या 1078 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 1103 रकबा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 1104 रकबा 9 बिस्वा भूमि का बंटवाडा किया जिस संबध में कोई उभयपक्षकारान को को कोई ऐतराज नहीं है। खसरा संख्या 1071 रकबा 1071 रकबा 123 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बंटवाडा किया

जिला कलक्टर फलोदी

Scanned with OKEN Scanner

उक्त बंटवाडा में अपीलांटगण निरस्त करवाकर पुनः बंटवाडा करवाने हेतु अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की म्याद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पुरोहित ने वकालातनामा पेश किया। डाक रसीदे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।
4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस ने आपसी सहमति का बंटवाडा करते वक्त खेत खसरा संख्या 1071 के रकबे का बंटवाडा किया जिस संबध में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस को ऐतराज नहीं है। परन्तु नक्शा में कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाडा नही होने से अपीलांट की ढाणीयां रेस्पोडेन्टस के हिस्से में आ गई हैमौके जिसकी जानकारी होने पर अन्दर म्याद अपील पेश की। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
5. रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 11 के अधिवक्ता श्री राजेश पुरोहित ने अपीलाधीन अपील को स्वीकार किया।
6. उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिनकी पहचान उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई।
7. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 11 के द्वारा प्रार्थना पत्र बहस धारा 5 म्याद अधिनियम के संबध में कोई विपरित कथन/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।
प्रकरण में विवादित तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा किया गया बंटवाडा दिनांक 13.12.1977 विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षकारान द्वारा उक्त बंटवाड़ा को निरस्त करवाने हेतु सहमत है।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार देचू को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में संबधित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि सम्मत एवं न्यायहित में आदेश 2 (दो) माह की अवधि में पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/24 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी

जिला कलक्टर फलोदी